Form no 111

फर्द अहकाम
(नियम 133)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

हुमानी आदि बनाम मदनलाल आदि

अन्तर्गत धारा :— धारा 212 आरटीए—राजस्व विविध संख्या :—292/2023
राजस्व वाद (दावा) संख्या :— 501/2023

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
	12.12.2023:—यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **श्री सुरेन्द्र कुमार सिहाग3 अधिवक्ता** द्वारा मूल वाद अन्तर्गत धारा **188,88,53** आर.टी.ए. अनवानी:— **हुमानी आदि बनाम मदनलाल आदि** के साथ **212 आर. टी.ए.** प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर सरिस्ता रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन **प्रार्थीया अधिवक्ता** के **कथनों से प्राथमिक दृष्टि से संतुष्ट होकर अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि चक नम्बर 6 एम.डी.बी के खाता सख्या 6/7 तादादी 1.7585 हैक्टेयर मे आगामी पेशी तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। यह स्थगन रास्ता, खाला, व आराजीराज भूमि पर तथा बैक ऋण व सीमा ज्ञान (रोड़ा एक्ट की ऋण व वसूली) पर, तथा सार्वजनिक हित मे अवाप्त की गई भूमि लागू नही होगा।** अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावें जिसके लिए प्रार्थी के अधिवक्ता को हिदायत दी गई कि अप्रार्थीगण के तलबी हेतु साधारण व रजिस्टर्ड लिफाफे प्रस्तुत कर तीन दिवस में रजिस्ट्री की रसीद पेश करें। रसीद पेश न करनें की स्थिति मे आईन्दा पेशी पर स्थगन नहीं बढाया जावेगा। सामान्य सम्मन जारी होकर अप्रार्थीगण के उपस्थित होनें पर प्रार्थीया के अधिवक्ता बहस [illegible] बाध्य होगे यदि बहस नहीं की जाती है तो अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] समाप्त समझी जावेगी। पत्रावली मूल वाद के साथ आगामी पेशी दिनांक 09.01.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ	सम्मन फार्म किए

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.24 21:03:14 IST
Reason: SelfAttested